न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

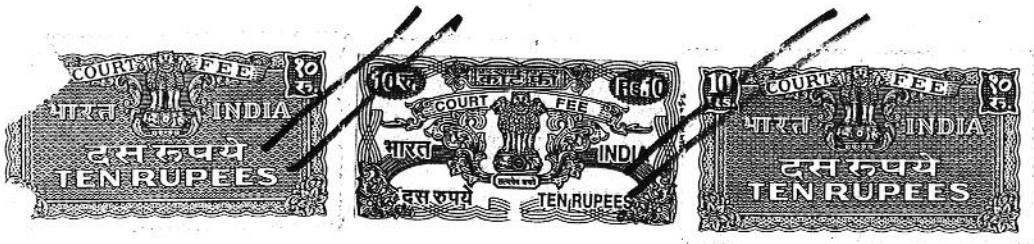

निगरानी प्रकरण क्रमांक–............/12

श्रीमती उर्मिला पाण्डेय पत्नी श्री हुब्बलाल पाण्डेय उम्र– 50 वर्ष, निवासी ग्राम– मधुरी पवाई, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) ——— आवेदिका

बनाम

1. रंजीत राम शुक्ल पिता केदार राम शुक्ल निवासी ग्राम– मधुरी पवाई, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन

——— अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री विजय कुमार द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत। रीवा: दि० 21.8.2012

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार साहब गोपदबनास गिर्द– द्वितीय जिला– सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 13/अ–5/08–09 में पारित नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक– 08.05.2009 जिसके आधार पर नितान्त अवैधानिक तरीके से आदेश पारित करते हुये नक्शा तर्मीम की कार्यवाही की गई है।

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है:–

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

{क} यह कि अनावेदक क्रमांक– 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थित ग्राम– मधुरी पवाई, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी की आराजी खसरा क्रमांक– 73/1, 78/1, 5/1 किता– 3 योग रकवा 1.487 है0 भूमियों का नक्शा तर्मीम हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: 3087/I/12 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	उर्मिला कार्यवाही तथा आदेश रंजीत एवं	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-01-16	प्रकरण में ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता को आवाज लगवाई गई तथा आवेदक अधिवक्ता की प्रकरण में उपस्थिति हेतु 5 बजे तक प्रतीक्षा की गई। आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि आवेदक अधिवक्ता काफी लम्बे समय से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, प्रकरण का निराकरण किया जावे। प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक अधिवक्ता श्री लोकेश सिंह दिनांक 9-4-14 को उपस्थित हुए थे, इसके बाद से वे लगातार बावजूद सूचना अनुपस्थित है। इस प्रकार अप्रैल 14 से दिसम्बर 15 तक आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता की लगातार अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा०द० हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.